



जोधपुर नगर निगम, दक्षिण

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

JM

क्रमांक- 16604

दिनांक- 4/1/2021
I.B.T(B) 31/2020-21

श्री केशर देव सोनी पुत्र श्री जानकीदास
भूखण्ड सं. 64, सेक्टर ई, शॉपिंग सेक्टर, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

::- भवन निर्माण आदेश :-

विषय :- व्यवसायिक भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।
प्रसंग :- आपका आवेदन पत्र दिनांक 20.04.2018।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक गठित भवन निर्माण स्वीकृति समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 28 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार व्यवसायिक भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 बालकौनी व छप्पे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 पडोसी की बिल्डिंग लाईन को यथावत रखेंगे।
- 3 मानचित्र एवं प्लेट में यदि घबुतरी दर्शायी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेंगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 भविष्य में बकाया राशि निकलने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शान सुखा व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुशा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साकधानी पूर्वक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।

स्वीकृति का प्रकार	व्यवसायिक निर्माण
अनुमति निर्माण	बी+जी+1+
कुल	2(आंशिक)
दोत्रफल	133.33 वर्गगज

12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मटेरियल सड़क पर नहीं डाला जावेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मटेरियल भू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।

13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सके। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।

14 यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय में निर्मित याद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयाधीन रहेगा तथा वर्तमान-भविष्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियमों/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगे।

15 नगरीय विकास विभाग के पत्रांक प.18(38)नविधि/जयपुर/2017 पार्ट दिनांक 12 मई 2020 के तहत बैटरमेन्ट लेवी के चार चैक (चैक सं. 000806 दिनांक 24.03.2021 रू० 4,11,010/-, चैक सं. 000807 दिनांक 24.07.2021 रू० 4,11,010/-, चैक सं. 000808 दिनांक 24.11.2021 रू० 4,11,010/- व चैक सं. 000809 दिनांक 24.03.2022 रू० 4,11,010/-) लेखा शाखा में जमा है। तय तीथी तक चैक अस्वीकार होने पर चैक अस्वीकृत होने की दिनांक (विलम्बित अवधि) से नियमानुसार ब्याज देय होगा साथ ही परकाय लिखित अधिनियम (Negotiable Instrument Act) के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 300/- जांच शुल्क- 3,346/- भवन निर्माण शुल्क- 3,000/- मलबा शुल्क - 1,000/- बी.एस.यू.पी. शुल्क- 3,206/- विकास एवं संधारण शुल्क- 7,667/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 3,847/- उपकर- 27,165/- बैटरमेन्ट लेवी- 4,11,010/- कुल राशि- 4,60,541/- जरिये रसीद संख्या 9069/4781 दिनांक 11.12.2020, सुरक्षा एवं अमानत शुल्क- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/4784 दिनांक 11.12.2020, पार्किंग शुल्क- 10,65,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/4782 दिनांक 11.12.2020 व बिना अनुमति निर्माण शास्ति- 70,332/- जरिये रसीद संख्या 9069/4783 दिनांक 11.12.2020 को निगम कोष में जमा करा दिये गये है, साथ ही आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की स्वीकृति के विपरित निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 194/236/245 के प्राक्धान के तहत कार्यवाही की जावेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा सड़क पर पाया गया तो जुर्माना के रूप में 10,000/- (अशरे दस हजार रुपये) वसूल किये जावेगे।

उपायुक्त
नगर निगम जोधपुर, दक्षिण

25/1/2021
7/1/2021